न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

(48)

प्रकरण सं0 –127/16
दायरा दिनांक –16.12.16
निर्णय दिनांक –30.09.19

बउनवान

1. तोलाराम पुत्र काशीराम जाति माली निवासी कूण्डी तहसील किशनगंज जिला बारां राज0 (मृतक)
1/1 मंजू बाई बेवा तोलाराम उम्र 35 वर्ष
1/2 केशव पुत्र ना0बा0 जर्ये वली माता मंजू बाई
1/3 किशोर पुत्र ना0बा0 जर्ये वली माता मंजू बाई

प्रार्थी

बनाम

1. अशोक पुत्र कन्हैया लाल जाति माली निवासी सीमल्या तहसील किशनगंज जिला बारां राज0
2. भूली बाई पत्नी देवलाल जाति माली निवासी कूण्डी हाल नि0 सीमल्या तहसील किशनगंज जिला बारां राज0
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील किशनगंज जिला बारां राज0

अप्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी एवं धारा 207 आर0टी0 एक्ट

निर्णय

दिनांक :–30.09.2019

प्रतिवादी अधिवक्ता रामकिशन नागर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी एवं धारा 207 आर0टी0 एक्ट इस आशय का पेश किया कि –

1. यह कि अप्रार्थी/ वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की मद नं0 3 की प्लीडीग्स को पढने से स्पष्ट है कि अप्रार्थी/वादी ने मृतक राजाराम का दत्तक पुत्र होने की घोषणा करने पर प्रार्थीगण /प्रतिवादी क्रम 1 एवं 2 के विरूद्व विवादित भूमि ख0न0 117 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा, ख0न0 123/1 रकबा 03 बिस्वा, ख0न0 130/1 रकबा 05 बिस्वा, ख0न0 131 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, ख0न0 131/1 रकबा 14 बिस्वा, ख0न0 187 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा कुल 28 बीघा 01 बिस्वा पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। लेकिन वादी/अप्रार्थी ने अप्रार्थी/वादी को गोद लेने सम्बन्धी कोई दस्तावेजी सबूत पत्रावली मे प्रस्तुत नही किया है।
2. यह कि अप्रार्थी/ वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे अप्रार्थी/वादी अपने आपको मृतक राजाराम को गोद पुत्र मानता है। जो कि विधि का प्रश्न है और विधि के अनुसार विद्ववान न्यायालय को गोद के सम्बन्ध मे निर्णय करने का कोई अधिकार नही है। गोद के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने का एक मात्र अधिकार सिविल न्यायालय को ही है। इसलिये

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 16:59:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विद्वान न्यायालय को उक्त वाद सुनने का अधिकार / क्षैत्राधिकार नही होने से वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3. यह कि अप्रार्थी / वादी मृतक राजाराम का गोद पुत्र नही है न ही मृतक राजाराम अथवा राजाराम की माता प्रार्थीया / प्रतिवादी कम 2 भूली बाई ने कभी भी वादी / अप्रार्थी को गोद लिया है। अप्रार्थी / वादी मृतक राजाराम का कोई सगा सम्बन्धी भी नही है। जबकि मृतक राजाराम का पूर्व से ही गोद पुत्र प्रार्थी / प्रतिवादी कम 1 अशोक गोद पुत्र मौजूद है। और हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत एक ही व्यक्ति द्वारा दो लडको को गोद लेने का प्रावधान नही है। एसी स्थिति मे जब तक वादी / अप्रार्थी तोलाराम सक्षम सिविल न्यायालय से स्वयं को मृतक राजाराम का दत्तक पुत्र घोषित नही करवा लेता तब तक मौजूदा स्वरूप मे योग्य नही है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 मे बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किये जाने योग्य है। और उक्त बिन्दू पर विद्वान न्यायालय द्वारा तनकी कायम कर वादपत्र का निस्तारण करने का कोई औचित्य नही है मात्र पक्षकारो एवं कोर्ट का समय बेकार करने से कोई लाभ नही है।

4. यह कि उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध मे इसी न्यायालय मे एक प्रकरण सं0 111 / 2006 बउनवान भूली बाई वगै0 बनाम राजाराम सरकार अन्तर्गत धारा 88,89,90,92ए,188 व 53 आर0टी0 एक्ट विचाराधीन था जिसमे भी अप्रार्थी / वादी के पिता काशीराम ने अपने आपको मृतक राजाराम के पिता देवलाल का सगा सम्बन्धी बनकर झूठा आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 बनाये जाने पक्षकार और 1 / 2 हिस्से पर अधिकार हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसको भी माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2007 को खारिज कर दिया है। और पिता के बाद अब पुनः विवादित आराजी को हडपने की नियत से बेटे / वादी / अप्रार्थी से काशीराम ने झूठा केस करवा दिया है। जो कि विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

5. यह कि अन्य कारण वक्त बहस निवेदन किये जावेगे।

अतः प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन कि वादी / अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

वादी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 207 आर0टी0ए0 की नकल तकसीम की गई। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 207 आर0टी0ए0 का जवाब इस आशय का पेश किया–

1. यह कि मद नं0 1 वर्णित तथ्य वादी द्वारा मृतक खातेदार राजाराम के दत्तक पुत्र की हैसियत से वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो गवाह सबूत पर निर्णित होना है।
2. यह कि मद नं0 2 मे वर्णित तथ्य सिविल न्याया0 को क्षैत्रीय अधिकार होना अंकित किया गया सही तथ्य यह कि राजस्व न्याया0 को भी क्षैत्रीय अधिकार प्राप्त है।
3. यह कि मद नं0 3 मे वर्णित तथ्य प्रतिवादी क्रम 1 अशोक का पूर्व से गोद पुत्र होना स्वीकार नही है। तथा उसके द्वारा भी कोई दस्तावेज सबूत प्रस्तुत नही किये गये है।
4. यह कि मद नं.0 4 मे वर्णित तथ्य पूर्व प्रकरण संख्या 111 / 2006 बदउनवान मुकदमा भूलीबाई वगै0 बनाम राजाराम सरकार अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188व 53 आर0टी0एक्ट के तथ्य एवं पक्षकारान भिन्न होने से उक्त वाद मे कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है। तथा जवाब दावे के पश्चात ही गवाह सबूत प्रस्तुत होने पर निर्णय किया जाना न्याय हित मे है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन है कि प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगण से जवाब दावा प्राप्त कर तनकियात कायम

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 16:59:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कि जाकर गवाह सबूत लिये जाकर विधिवत कानूनी तरीके से निर्णय पारित करने की कृपा करे। (56)

प्रतिवादी अधिवक्ता को जवाब की नकल तकसीम की गई। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष बहस सूनी गई। दौराने बहस प्रतिवादी आदि के प्रार्थना पत्र मे अंकित बिन्दूओं को दोहराया एवं निवेदन किया वादपत्र तोलाराम पुत्र काशीराम अर्थात काशीराम के पुत्र की हेसियत से पेश किया है। वादपत्र की मद नं0 3 मे दत्तक पुत्र की घोषणा कराने के लिये प्रार्थना की है जो न्यायालय क्षैत्राधिकार मे नही है। वाद पत्र के मद नं 6 विवाहिता नाबालिग पुत्री को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए था स्वयं स्वीकार कर रहे है। कुसांयोजन का दोष है दावा मेनटेबल नही है प्रार्थना मे वादी मृतक खातेदार का दत्तक की हेसियत से खातेदारी मांग रहा है मूल दावा जब तक घोषित कराकर खातेदार घोषित कराने के लिये पेश हुआ है। गोद के सम्बन्ध मे निर्णय क्षैत्राधिकार से बाहर सक्षम सिविल न्यायालय मे जाये विवादग्रस्त जमीन के सम्बन्ध मे वादी के पिता ने भी दावा पेश कर रखा है जिसमे प्रार्थना पत्र 212 का निर्णय दिनांक 05.9.19 प्रकरण संख्या 39/19 खारिज हो चुका है। आर0आर0डी0 2001 पेज नं0 227 दो पुत्रो को गोद लेने का कोई प्रावधान नही तनकीवार बिन्दू कायम कर निर्णित करने का कोई आचित्य नही प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर दावा खारिज किया जाये। वादी अधि0 ने अपने जवाब को दोहराया एवं निवेदन किया कि दावे पर की आपत्तियो को अपने जवाब दावे मे लेकर आना चाहिए था इनकी तनकी बनकर उन पर निर्णय हो सकता है। काशीराम का दावा 39/19 पर निर्णय 2016 का दावा है। 27.01.17 से प्रतिवादी अधिवक्ता आ गये है। प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी की मद नं0 3 मे प्रतिवादी भी स्वयं को दत्तक पुत्र बता रहा है। मद नं0 4 मे वाद क्रमांक 111/2006 को झूठा केस बता रहे है मॉ बेटे का विवाद था। राजाराम पुत्र देवलाल माली 28.01 बीघा वर्तमान खातेदार है यह मर चुका है। जमीन के खातेदार तय करना जरूरी है। दावेदारों के बीच कॉन्टेस्ट आवश्यक है। ताकि सही दावेदारो के बीच इंतकाल खुल सके। 7–11 को स्वीकार करने से जमीन लावारिस हो जायेगी जिससे विवाद को बढावा मिलेगा। अशोक के दत्तक होने की सत्यता के कोई सबूत नही वे स्वयं का हक ही अभी तक साबित नही कर पाये। आर0आर0डी0 2001 पेज 415 पेश कर देगे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकॉड्र का गहनता से अध्ययन किया गया। अद्योतन विवेचनानुसार प्रतिवादी अधि0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः इस आशय का निर्णय पारित किया कि प्रतिवादी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी एवं धारा 207 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर0टी0ए0 खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
अन्ता

उपखण्ड अधिकारी
अन्ता जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 16:59:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner